खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

****

वर्ष 2016 के दौरान की गई नई पहलों पर प्रगति रिपोर्ट

- देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन पूर्ण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के स्वचालन में प्रमुख सुधार
- स्वचालन और विकेन्द्रीकरण के जरिए खरीद संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार किया गया ताकि किसानों को कुशलतापूर्वक एवं बड़े पैमाने पर कवर किया जा सके।
- चीनी क्षेत्र की व्यवहार्यता हेतु की गई अनेक नीतिगत पहलें।
- भंडारण क्षमता के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु की गई नई पहलें।

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था तथा मई, 2014 में इसे 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा था। वर्ष 2016 के दौरान, इसके कार्यान्वयन हेतु विशेष ध्यान दिया गया था जिनमें लगातार बैठकों, सम्मेलनों, वीडियों सम्मेलनों (वीसीए) पत्राचार, दौरों आदि के माध्यम से अधिनियम का शीघ्र कार्यान्वयन करने हेतु शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सहमत किया जा रहा था। इसके परिणास्वरूप, वर्ष के दौरान, 13 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया और अब इस अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसमें 80 करोड़ लोग कवर होते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पहली बार केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को 2200 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है ताकि वे खाद्यान्नों के राज्य के भीतर संचलन तथा उचित दर दुकानों के मार्जिन पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर सकें। पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित था कि या तो वे यह व्यय स्वयं वहन करें अथवा इसे लाभार्थियों से वसूल करें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के विनिर्दिष्ट मूल्य चावल हेतु 3 रूपए प्रति किलोग्राम, गेहूं हेतु 2 रूपए प्रति किलोग्राम तथा मोटे अनाज हेतु 1 रूपए प्रति किलोग्राम हैं जो जुलाई, 2016 तक वैध थे, इन्हें अब मार्च, 2017 तक जारी रखा गया है। इस प्रकार केन्द्र सरकार देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीसी) तथा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) स्कीमों हेतु खाद्यान्नों की दरों को अप्रैल, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित दरों तक घटा दिया गया था जो पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों अर्थात गेहूं 4.15 प्रति किलोग्राम तथा चावल 5.65 रूपए प्रति किलोग्राम से काफी कम हैं।

II. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

- वर्ष 2016-17 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अन्य कल्याण स्कीमों के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 627.99 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

- सतत प्रयासों के परिणामस्वरुप, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे इसे अधिक पारदर्शी तथा लीकप्रूफ बनाया गया है और खाद्य राजसहायता को बेहतर तरीके से लक्षित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य संघटकों में सुधार निम्नानुसार है:-

	मई, 2014	**दिसम्बर, 2016** (06.12.2016 की स्थिति के अनुसार)
स्वचालित उचित दर दुकानें	5,835	1,76,835
राशन कार्डों का डिजिटीकरण	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़ना	2 प्रतिशत	71.13 प्रतिशत
खाद्यान्नों का ऑनलाईन आवंटन आरंभ	9 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	29 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कंप्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला	4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
टोल-फ्री नम्बर/ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली	25 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्यक्ष लागत अंतरण प्रारंभ	शून्य	3 संघ राज्य क्षेत्र

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम के तहत खाद्यान्नों हेतु नकद अंतरण को 3 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात चंडीगढ़, पुद्दुचेरी में 1.09.2015 से तथा दादरा एवं नगर हवेली (शहरी क्षेत्रों में) में 1.3.2016 से कार्यान्वित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत कुल 9.14 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है तथा प्रतिमाह कुल 11.98 करोड़ रुपए की निधियां अंतरित की जाती हैं।

- विभाग कैशलेस इको-सिस्टम को प्रारंभ करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है। उचित दर दुकानों पर नकदी रहित लेन-देन के बारे में माननीय मंत्री जी तथा माननीय राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2016 तथा 1.12.2016 को विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया गया। सभी संगत हितधारकों जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों, यूआईडीएआई, वित्तीय सेवाएं विभाग, एनपीसीआई, एनआईसी, सीएससी के साथ विचार-विमर्श किया गया है तथा विस्तृत अनुदेशों सहित दिनांक 25.11.2016, 28.11.2016 तथा 08.12.2016 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेज दिए गए हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में 28.11.16 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी खाद्य सचिवों को उचित दर दुकानों पर नकदी रहित लेन-देन की 5 पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गयी थी और इनके बारे में विस्तारपूर्वक अनुदेश दिए गए थे।

III खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार करना

1. भारतीय खाद्य निगम की पुन:संरचना हेतु सिफारिशें करने के लिए श्री शांता कुमार, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया

था। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की कार्य पद्धति में सुधार करने तथा इसके प्रचालनों में किफायत लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

2. भारतीय खाद्य निगम के सभी प्रचालनों को ऑनलाइन करने और लीकेज को रोकने तथा डिपो स्तरीय प्रचालनों को स्वचालित करने हेतु ''डिपो ऑनलाइन'' प्रणाली को 27 राज्यों के 31 डिपुओं में 17 मार्च, 2016 को पायलट आधार पर लागू कर दिया गया है। दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली को 494 डिपुओं में कार्यान्वित कर दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम ने ऑनलाइन खरीद प्रबंधन प्रणाली (ओपीएमएस) हेतु एक साफ्टवेयर का विकास किया है जिसका प्रयोग खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में खरीद प्रचालनों हेतु किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम जहां जनवरी, 2017 में असम में शुरू किए जाने वाले खरीद प्रचालनों हेतु इसका प्रयोग करेगा, वहीं खरीद करने वाले 12 प्रमुख राज्य अब न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रचालनों हेतु ऑनलाइन खरीद प्रबंधन प्रणाली (आपीएमएस) का प्रयोग कर रहें हैं। 3 अन्य राज्य ओपीएमएस को आंशिक रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। 3 राज्यों द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के दौरान दिसंबर/जनवरी के अंत में धान से जुड़े प्रचालनों हेतु ऑनलाईन कार्रवाई किए जाने की संभावना है।
4. 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा, जो पहले से ही विकेन्द्रीकृत खरीद कर रहे हैं अब महाराष्ट्र चावल की खरीद हेतु एक नया डीसीपी राज्य बन गया है तथा झारखंड ने भी खाद्यान्नों की खरीद एवं वितरण प्रचालनों की दक्षता में सुधार करने के लिए इस प्रणाली को खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के दौरान आंशिक रुप से अपना लिया है।
5. भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय पूल के स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत, नवम्बर, 2016 तक 33.10 लाख टन गेहूं तथा 1.12 लाख टन चावल की बिक्री की गयी है।
6. नदी मार्ग से खाद्यान्नों के संचलन के तहत, भारतीय खाद्य निगम ने अगस्त, 2016 से सितम्बर, 2016 तक के दौरान कोलकाता से बंगलादेश होते हुए त्रिपुरा को 2267 टन खाद्यान्न भेजे हैं।

7. भारतीय रेल, भारतीय खाद्य निगम को प्राथमिकता 'ख' तरजीह के आधार पर वैगन उपलब्ध करा रही है जबकि डीसीपी राज्यों में, जिन्होंने पीडीएस के तहत राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका ले ली थी, यह तरजीह राज्य खाद्य निगमों को नहीं दी जा रही है। इस विभाग के अनुरोध पर, रेल मंत्रालय ने प्राथमिकता 'ख' के तहत 5 और राज्यों अर्थात तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याणकारी स्कीम के लिए तरजीह/सुविधा भी प्रदान की है।

8. वर्ष 2016-17 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में सूखे जैसी तथा बिहार में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदओं का सामना करने के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गयी थी।

9. मिस्र सरकार को सरकार से सरकार आधार पर केंद्रीय पूल स्टॉक से 20,000 टन सेला चावल का निर्यात किया गया था। यह निर्यात भारत हेतु राजनयिक लाभ के हित में किया गया था। निर्यात के समय ही मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था।

IV. किसानों की सहायता

1. रबी विपणन मौसम 2016-17 के दौरान सरकारी एजेंसियों ने दिनांक 01.12.2016 की स्थिति के अनुसार 229.32 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

2. पूर्वी भारत में खरीद बढ़ाना:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश (पूर्वी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए), बिहार, झारखंड,पश्चिम बंगाल तथा असम के लिए राज्यवार 5 वर्षीय कार्य योजनाएं तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ तथा ओड़िशा में खरीद की स्थिति पहले ही मजबूत है। इन राज्यों से चावल की खरीद बढ़ाने तथा इन राज्यों के विभिन्न धान उत्पादक जिलों में सभी किसानों तक पहुंचने का प्रयास है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने पूर्ववर्ती मौसम में केवल 141 की तुलना में 232 खरीद केन्द्र खोले हैं। सरकारी एजेंसियों के अलावा भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों से परामर्श करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के निराशाजनक कवरेज वाले क्षेत्रों में खरीद प्रचालन बढ़ाने के लिए निजी पार्टियों को भी शामिल किया है। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार की एजेंसियों तथा निजी पार्टियों द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015-16 में कुल 61837 खरीद केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) दिनांक 26.09.2016 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों में खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में 47.19 लाख टन तथा खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में 34.28 लाख टन की तुलना में वर्तमान मौसम (खरीफ विपणन मौसम 2015-16) में 70.70 लाख टन चावल के रूप में धान की खरीद की गई है।

3. भारतीय खाद्य निगम ने मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रचालनों के अंतर्गत किसानों से बाजार मूल्यों पर दलहनों की खरीद प्रारंभ की है। भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के दौरान दिनांक 28.11.2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 22542.85 टन मूंग तथा 9183.56 टन उड़द की खरीद की है।

V. भंडारण में सुधार करना

- वर्ष 2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक) के दौरान, भंडारण हानियों तथा मार्गस्थ हानियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन के लक्ष्य क्रमश: 0.15 प्रतिशत तथा 0.42 प्रतिशत की तुलना मे (-) 0.14 प्रतिशत तथा 0.39 प्रतिशत तक सीमित रखा गया।
- निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम के तहत वर्ष 2016 के दौरान, अक्तूबर, 2016 तक 2,42,610 टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में योजना स्कीम के तहत 34,410 टन क्षमता निर्माणाधीन है। वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय भंडारण निगम ने 1.62 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता (भा.खा.नि. हेतु पीईजी स्कीम के तहत 0.70 टन तथा अन्य जमाकर्ताओं हेतु 0.92 लाख टन) का सृजन किया है।
- भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों, जिनमें पीपीपी पद्धति पर राज्य सरकारें भी शामिल हैं, द्वारा गेहूं तथा चावल हेतु स्टील साइलो के रुप में 100 लाख टन भंडारण

क्षमता के सृजन हेतु एक रूपरेखा अनुमोदित की गई है। मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

- भारतीय खाद्य निगम ने 6 स्थानों अर्थात चांगसारी (असम), नरेला (दिल्ली), साहनेवाल (पंजाब), कोटकपूरा (पंजाब), कटिहार (बिहार) तथा व्हाइटफील्ड (कर्नाटक) में कुल 2.5 लाख टन क्षमता हेतु मार्च, 2016 में संविदा सौंप दी हैं।
- भारतीय खाद्य निगम ने पाइलट आधार पर 25000 टन के चावल साइलो सहित 1 लाख टन क्षमता (बिहार के बक्सर तथा कैमूर में प्रत्येक में 50,000 टन) हेतु 7.12.2016 को निविदाएं जारी की हैं।
- भारतीय खाद्य निगम ने 5.12.2016 को 19 स्थानों पर 9.5 लाख टन क्षमता के साइलोज के निर्माण हेतु संविदा सौंप दी है।
- केन्द्रीय भंडारण निगम ने पंजाब के नाभा में 50000 टन साइलो का निर्माण कार्य शुरु कर दिया है।

VI. चीनी क्षेत्र में सुधार

- गत 5 चीनी मौसमों में घरेलू उपभोग से लगातार अधिशेष उत्पादन के कारण चीनी की मूल्यों में कमी आई थी जिससे पूरे देश में इस उद्योग की नकदी की स्थिति खराब हुई और गन्ना मूल्य बकाया बढ़ गए। उपर्युक्त के कारण चीनी मौसम 2014-15 के संबंध में दिनांक 15.04.2015 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर अधिकतम गन्ना मूल्य बकाया 21837 करोड़ रूपए तक पहुंच गया।

- इस परिस्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

— चीनी मिलों की ओर से बैंकों के माध्यम से 4305 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता किसानों के खातों में सीधे जमा की गई। इससे लगभग 32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं (2015-16)।
— इथेनॉल ब्लेंडिग कार्यक्रम के अंतर्गत लाभकारी मूल्य का निर्धारण करके तथा चीनी मौसम 2015-16 (10 अगस्त 2016 तक) के दौरान इथेनॉल की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करके इथेनॉल की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाया गया।

— निर्यात करने वाली तथा इथेनॉल की आपूर्ति करने वाली मिलों पर किसानों द्वारा पेराई किए गए गन्ने के लिए गन्ना देयताओं के लिए 4.50 प्रति क्विंटल की दर से एक व्यापक निष्पादन आधारित उत्पादन आधारित राजसहायता प्रदान की गई है।

- इन उपायों के कारण वर्ष 2016 में चीनी मौसम 2014-15 के संबंध में किसानों के 99.2 प्रतिशत तथा चीनी मौसम 2015-16 के संबंध में 98.5 प्रतिशत (एफआरपी आधारित) गन्ना देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 के गन्ना मूल्य बकाया जो अप्रैल 2015 में 21,837 करोड़ रूपए था, दिनांक 3.12.2016 की स्थिति के अनुसार घटकर 510 करोड़ रूपए रह गया है।

- एथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि वर्तमान वर्ष के दौरान एथनॉल की आपूर्ति 110 करोड़ लीटर से अधिक के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गई है जो पहले कभी नहीं हुआ। वर्ष 2014-15 तथा 2013-14 के मौसमों के दौरान आपूर्ति क्रमश: 68 करोड़ लीटर तथा 37 करोड़ लीटर थी।
- सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों तथा संभावित जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने दिनांक 29.04.2016 को चीनी के स्टॉकधारकों/विक्रेताओं पर 6 माह के लिए स्टॉक रखने की सीमा तथा टर्नओवर सीमाएं लागू की हैं जिसे बाद में अगले 6 माह अर्थात अप्रैल, 2017 तक बढ़ाया गया है। चीनी की आपूर्ति तथा उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने तथा इस प्रकार घरेलू चीनी मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए स्टॉक रखने की सीमाएं माह सितम्बर, 2016 तथा अक्तूबर, 2016 के संबंध में चीनी मिलों पर भी लागू की गई थी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आज की तारीख तक प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी राजसहायता की प्रतिपूर्ति करने के लिए 2482 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2016 के दौरान चीनी विकास निधि के अधीन ऋण के 60 मामलों पर कार्रवाई की गई थी जिसमें गन्ना विकास के लिए 6 मामले, आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के 15 मामले, खोई आधारित विद्युत सह उत्पादन परियोजना के 24 मामले, एथानॉल के 14 मामले, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का एक मामला शामिल है। इन 60 मामलों में से 801.21 करोड़ रुपये की राशि के 41 मामले अनुमोदित किए गए थे।

- वर्ष के दौरान अनुमोदित चीनी विकास निधि ऋण के रूप में 405.68 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। इस अवधि के दौरान चीनी विकास निधि ऋण में से 565.63 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है।
- एसईएफएएसयू-2014 स्कीम के अधीन विभिन्न चीनी कारखानों को बैंकों द्वारा 6337.00 करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया गया है जिससे किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सुगमता हो। इस स्कीम के अधीन 01.01.2016 से 8.12.2016 तक के दौरान विभाग ने चीनी कारखानों द्वारा लिए गए उपर्युक्त ऋण पर ब्याज माफी के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 679.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
- सरल ऋण 2015 स्कीम के अधीन बैंकों द्वारा चीनी मिलों की ओर से गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए किसानों के खाते में लगभग 4213.00 करोड़ रुपये का ऋण सीधे जमा किया गया है। इस स्कीम के अधीन विभाग ने उपर्युक्त ऋण पर ब्याज की माफी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 01.01.2016 से 08.12.2016 के दौरान 288.10 करोड रूपए की राशि जारी की है।
- लंदन में दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन (आईएसओ) परिषद की बैठक के 50वें सत्र में भारत को वैश्विक चीनी क्षेत्र के एक प्रमुख तथा निर्णायक देश के रूप में मान्यता देते हुए भारत को वर्तमान तथा भावी चीनी परिदृश्य को देखते हुए चीनी की अर्थव्यवस्था में आईएसओ द्वारा निभाई जाने वाली नई भूमिका के अध्ययन, जांच एवं संस्तुति हेतु गठित कार्य दल का अध्यक्ष बनाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। फिलहाल 87 देश अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन के सदस्य हैं तथा यह अंतर्राष्ट्रीय शर्करा करार, 1992 के अनुसार लागू है।

VII. तेल के मूल्य वहनीय बनाए रखना

- सरकार ने किसी भी प्रकार की कमी तथा मूल्यों वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य तेलों पर दिनांक 30.09.2017 तक स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू की है।
- सरकार ने सभी हितधारकों अर्थात किसानों, उद्योग तथा उपभोक्ता के हित का संतुलन बनाए रख्ने के लिए दिनांक 23 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 51/2016-सीमाशुल्क के द्वारा अपरिष्कृत पाम ऑयल पर आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत तथा परिष्कृत पाम ऑयल पर इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 15

प्रतिशत कर दिया है। अन्य अपरिष्कृत तथा परिष्कृत तेलों पर आयात शुल्क क्रमश: 12.5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत है।

VIII. भारतीय खाद्य निगम के संबंध में अन्य उपलब्धियां

- **पेंशन स्कीम:** भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना जो वर्ष 2008 से जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थी, उसे अंतत: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10.08.2016 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। यह स्कीम 01.12.2008 से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में इस स्कीम का प्रारुप विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम:** भारतीय खाद्य निगम के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम जो वर्ष 2008 से जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थी, उसे अंतत: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10.08.2016 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। यह स्कीम 01.04.2016 से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में इस स्कीम का प्रारुप विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- **भारतीय खाद्य निगम में पहरा और निगरानी कर्मचारी:** भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्नों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पहरा और निगरानी कर्मचारियों की संख्या में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा मई, 2016 में अनुमोदित कर दिया गया है। यह मामला भी वर्ष 2010 से लम्बित था। इस पुनःरचना के परिणामस्वरूप अब भारतीय खाद्य निगम में नियमित पहरा और निगरानी कर्मचारियों की संशोधित संख्या 5056 है। इस पुनःरचना की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय खाद्य निगम ने 3264 रिक्त पद भरने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है।
- जहां तक भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं/रेलशीर्षों को संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों से छूट प्रदान करने के मुद्दे का संबंध है, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के निर्देश सं. (i) के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं/रेलशीर्षों/गोदामों को दो वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 2327 (ई) द्वारा लिया गया है।

IX. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र

भारत सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 12.01.2016 को आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय लिया गया था कि संचालन समिति और कार्य समूहों के गठन के माध्यम से सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने ब्राजील में उत्कृष्टता केन्द्र के कार्यकरण का अध्ययन करने और भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लाभों का विश्लेषण करने के लिए 17 अगस्त, 2016 से 20 अगस्त, 2016 तक ब्राजील का दौरा किया था। यह उत्कृष्टता केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्र के समक्ष खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर परामर्श देने, भारत में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के सुधार के लिए पायलट परियोजना निष्पादित करने, सरकारी क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर परामर्श देने तथा साथ-साथ अन्य विकासशील और मध्य आय वाले देशों के लिए खाद्य सुरक्षा में भारत द्वारा की गई प्रगति को दिखाने हेतु अंतर-मंत्रालयीय थिक-टैंक के रूप में भी कार्य करेगा। संयुक्त सचिव (इम्पैक्स और आईसी) के नेतृत्व में गठित कार्य समूह ने एसोसिएशन ज्ञापन (एमओए) तैयार किया था जिसे 21 नवम्बर, 2016 को हुई संचालन समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था और बाद में यह मामला एमओए की विधीक्षा के लिए विधि मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग के साथ उठाया गया था।

X. केन्द्रीय भंडारण निगम तथा सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाऊसिंग कंपनी लिमिटेड

- केन्द्रीय भंडारण निगम ने वर्ष 2015-16 के दौरान 1640 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कारोबार किया है। केन्द्रीय भंडारण निगम ने 2015-16 के दौरान भारत सरकार को 32.93 करोड़ रुपये का लाभांश (इक्विटी का 88%) अदा किया है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम ने 1.62 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया है (0.70 लाख टन पीईजी स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम के लिए और 0.92 लाख टन अन्य जमकर्ताओं के लिए)।

- केन्द्रीय भंडारण निगम के सभी गोदामों में “स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत” स्लोगन प्रदर्शित किए गए। केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा शाहपुर जट गाँव में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।
- केन्द्रीय भंडारण निगम ने सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष में 2 करोड़ रुपए का और नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 133.25 लाख रुपए का अंशदान किया है।
- सेंट्रल रेलसाइड वेयरहासिंग कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2016 (जनवरी-नवम्बर, 2016) में 78 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। सीआरडब्ल्यूसी ने वर्ष 2015-16 में 6.08 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया है।
- सीआरडब्ल्यूसी ने ने अपनी सीएसआर निधियों के उपयोग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान “स्वच्छ भारत कोष” में 11.37 लाख रुपए का अंशदान किया है।

- सीआरडब्ल्यूसी ने अपनी विविधीकरण पहलों के भाग के रुप में नैल्लोर में एकीकृत रेलसाइड वेयरहाउस काम्प्लेक्स और फ्रेट टर्मिनल का विकास करने के लिए इफको किसान एसईजेड(आईकेएसईजेड) और भारतीय पोटाश लि0 (आईपीएल) के साथ ‘इफको सीआरडब्ल्यूसी लाजिस्टिक्स लि0 (आईसीएलएल)’ नामक संयुक्त उपक्रम की कंपनी बनाई है। परियोजना के चरण-1 में 10 एकड़ क्षेत्र में कंटेनर स्टेकिंग क्षेत्र, ट्रक पार्किंग स्थल, सड़कों आदि सहित 5000 टन क्षमता के सामान्य वेयरहाऊस और 2000 टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण शामिल है।

- सीआरडब्ल्यूसी ने नागपुर के निकट एमओआईएल की खदानों से उनके झाड़ुगुडा संयंत्र तक भारतीय यूरेनियम निगम के लिए मैगनीज़ अयस्क की ढुलाई के लिए सड़क परिवहन संविदा निष्पादित की है।
- वर्ष 2016 के दौरान सीआरडब्ल्यूसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय विरासत/कला का संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान आदि क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के अधीन विभिन्न परियोजनाएं शुरु की हैं जिनसे समाज के अधिकांश लोगों के जीवन पर वास्तव में प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अधीन ‘स्वच्छ भारत कोष’ में 11,37,000/- रुपए का प्रत्यक्ष अंशदान दिया गया है।

XI. एचवीओसी का परिसमापन

- एचवीओसी के परिसमापन की कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने तथा एचवीओसी के बचे हुए सभी कर्मचारियों को बेहतर प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ कार्यमुक्त करने के लिए 27.56 करोड़ रूपए के एक गैर-योजनागत अनुदान के साथ 2007 के नोशनल वेतनमानों पर उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (आईवीआरएस) देने के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस प्रस्ताव का 18.05.2016 को अनुमोदन कर दिया गया था। तदनुसार दिनांक 16.08.2016 को उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (आईवीआरएस) की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। शेष कुल 83 कर्मचारियों में से, 82 कर्मचारियों ने आईवीआरएस हेतु अपना विकल्प दे दिया है। एक कर्मचारी की छंटनी कर दी गई है।

XII. डब्ल्यूडीआरए

डब्ल्यूडीआरए की उपलब्धियां:

मद	3.11.2016 तक कुल	01/01/2016 से 30/11/2016 तक
पंजीकृत भांडागारों की संख्या	1,326	373
जारी परक्राम्य भांडागार रसीद (एनडब्ल्यूआर)	62,364	14826
एनडब्ल्यूआर के प्रति जमा जिंसों की कीमत	4789.91 करोड़ रुपये	765.03 करोड़ रुपये
एनडब्ल्यूआर के प्रति लिया गया ऋण	1516.18 करोड़ रुपये	211.04 करोड़ रुपये

- चार भांडागार कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 96 भांडागार कार्मिकों को भांडागारण प्रक्रियाओं तथा डब्ल्यूडीआरए अधिनियम और संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। किसानों, व्यापारियों, मिल-मालिकों के लिए 66

किसान जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3350 प्रतिभागियों को डब्ल्यूडीआरए अधिनियम, एनडब्ल्यूआर, वैज्ञानिक भंडारण, बंधकता आदि के बारे में जागरुक बनाया गया है।

- डब्ल्यूडीआरए द्वारा रिपोजिटरीज़ तथा सावधानी एवं इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रबंधन से संबंधित दिशा-निर्देश 20 अक्तूबर, 2016 को जारी कर दिये गए हैं।
- भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियमन, 2016 दिनांक 14.07.2016 को अधिसूचित किया गया है।

XIII. राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर

- वर्तमान शैक्षिक स्तर 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर 'औद्योगिक इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' नामक नया पाठ्यक्रम शुरु किया गया था। मौजूदा क्लासरुम को 'स्मार्ट क्लासरुम' में बदलने, इंस्ट्रूमेंटेशन और आटो-सीएडी प्रयोगशालाओं की स्थापना, नैनो ब्रीवरी और एथनाल यूनिट की स्थापना तथा छात्रावास की बेहतर सुविधाओं के विस्तार के परिमणास्वरुप अन्य देशों अर्थात भूटान, नेपाल और यमन से विद्यार्थी वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों और कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित हुए थे। संस्थान ने भी चीनी कारखानों के लिए भारत और केन्या में ऐसे अनेक कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए थे।

XIV. अन्य उपलब्धियां

- ई-आफिस पर कार्य को बढ़ाने के उपाय के रुप में विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-आफिस पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है तथा इसके बाद एनआईसी और ई-ऑफिस के सहायक कार्मिकों की सहायता से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पर ई-आफिस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं। वर्ष के दौरान ई-आफिस के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति देखी गई है। नवम्बर, 2016 के माह के दौरान ई फाइलों की संख्या बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है, जबकि दिसम्बर, 2015 में यह संख्या 14 प्रतिशत थी।

- विभाग के 190 से अधिक अधिकारियेां/कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर सट्रिफिकेट दे दिए गये हैं और शेष को दिए जा रहें हैं।

- विभाग के लिए एक ट्विटर अकाउंट भी खोल दिया गया है(https://twitter.com/fooddeptgoi). इसके अलावा विभाग में सोशल मीडिया संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त सचिव के प्रभार में एक कोर टीम का गठन किया गया है तथा इसमें निदेशक स्तर के तीन अधिकारी भी शामिल हैं।

XV. **स्वच्छ भारत अभियान**

विभाग और इसके सम्बद्ध संगठनों द्वारा 16.04.2016 से 30.04.2016 तक, 16.06.2016 से 30.06.2016 तक और 16.10.2016 से 31.10.2016 तक स्वच्छता पखवाड़े आयोजित किए गए थे। इन अवसरों पर जन-जागरुकता पैदा करने के लिए स्वच्छता शपथ लेना, स्वच्छता अभियान/रैली निकालना, सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक करना, कार्यालय परिसरों में सफाई और स्वच्छता में सुधार करना, निबंध/चित्रकारी प्रतिस्पर्धा आयोजित करना, स्वच्छतम अनुभाग पुरस्कार शुरु करना, रक्तदान कैंप आयोजित करना, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करना आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई थी।

— माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने भारतीय खाद्य निगम के घेवरा डिपो में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया था।

— जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए इस विभाग और इसके सभी संगठनों द्वारा स्वच्छता का प्रचार करने वाले बैनर और स्टीकर लगाए गए थे।

— माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा विभाग के स्वच्छतम अनुभाग को रनिंग ट्राफी प्रदान की गई थी।

— माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा कृषि भवन, नई दिल्ली में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता लोगो वाले नोज-मास्क और कैप वितरित किए गए थे।

— विभाग द्वारा इस विभाग और इसके संगठनों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ड्राईंग और निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी और माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने प्रतिस्पर्धा जीतने वालों को पुरस्कार तथा प्रतिभागियों को लोगो मुद्रित कैप दिए गए थे।

— इस विभाग में रेडक्रॉस सोसायटी की सहायता से 27.10.2016 को एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था।

— विभाग और उसके संगठनों द्वारा स्वच्छता पर जागरुकता लाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर दिनांक 17.10.2016 और 27.10.2016 को नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए थे। इनका वीडियो यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध है।

— रिकार्ड रुम में रिकार्ड की गई फाइलों की समीक्षा करने सहित पुराने रिकार्ड की छंटाई और रिकार्डिंग की गई थी। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 946 फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 449 फाइलों की छंटाई की गई और 497 फाइलें आगे के लिए रख ली गई हैं।

— निविदाओं के जरिए पुराने फर्नीचर का निपटान किया गया था।

— कार्यालय परिसरों में स्वच्छता में सुधार करने के लिए डस्टबिन, आक्सीजन उत्सर्जक पौधे कमरों, परिसरों और गलियारों में रखे गए हैं।

— सतत आधार पर जागरुकता पैदा करने के लिए स्टेशनरी के सामान पर स्वच्छ भारत लोगो छापा गया है।

— स्वच्छता के महत्व पर लगातार संदेश प्रसारित करने के लिए डिजिटल नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं।

— भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के कर्मचारियों ने सेंट्रल पार्क, कनाट प्लेस का दौरा किया और प्लास्टिक तथा पालिथीन के कचरे को साफ करने के लिए अभियान चलाया। भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के निकट आम जनता के उपयोग के लिए डस्टबिन रखे गए हैं।

— भारतीय खाद्य निगम में स्वच्छतम अनुभाग को पुरस्कार दिया गया था।

— कर्मचारियेां के लिए स्वच्छता और सफाई के महत्व पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वार्ताएं आयोजित की गई थी।

— पखवाड़े के दौरान कनाट प्लेस में भारतीय खाद्य निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियेां द्वारा सार्वजनिक स्थलों में 22.10.2016 को जागरुकता रैली और स्वच्छता अभियान चलाए गए थे।

— खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा इसके सबद्ध संगठनों के सभी सदस्यों से स्वच्छता गतिविधियां शुरु करने तथा अपने आवासीय क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत स्तर पर जागरुकता पैदा करने के लिए कहा गया था। श्री टी.सी. गौतम, प्रबंधक (लेखा) ने द्वारका में अपनी आवासीय कालोनी के आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी सोसायटी में 04 डस्टबिन लगाए और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान भी चलाया।

— कुछ अन्य कर्मचारियों द्वारा भी अपने आवासीय क्षेत्रों में इसी प्रकार की गतिविधियां चलाई गई।

— 'हमारे देश की स्वच्छता की सफलता केवल आम जनता को शिक्षित करने पर निर्भर है' शीर्षक पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

— भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 सर्वोत्तम सफाई कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था।

— भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए गए थे।

— केंद्रीय भंडारण निगम के सभी गोदामों में 'स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत' का नारा छपवाया गया था।

— केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा शाहपुर जट गॉव में स्वच्छता अभियान चलाया गया था।

— भारतीय खाद्य निगम, दिल्ली और राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए थे।

— राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा चीनी मिलों और डिस्टिलिरियों को अपने यहां और आसपास सफाई अभियान चलाने के लिए पत्र जारी किए गए थे।

— इन गतिविधियों के कुछ फोटो एसबीएम पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हैं।

— 'स्वच्छता पखवाड़ा' सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 4.11.2016 को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री की उपस्थिती में एक प्रैस सम्मेलन आयोजित किया गया था।

XVI. नीतिगत परिवर्तन

- **प्रमुख भोजन का पौष्टीकरण**

आबादी में कुपोषण की गंभीर समस्या को हल करने के लिए भोजन में पौष्टीकरण की कार्यनीति अपनाई गई है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई इनपुट और सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप एफएसएसएआई ने 16 अक्तूबर, 2016 से गेहूं के आटे के पौष्टिकरण के लिए मानक शुरू किए हैं और चावल के पौष्टिकरण की प्रौद्योगिकी तथा लागत की समीक्षा की जा रही है।

- **गेहूं-चावल नीति**

भारत सरकार ने इस उद्देश्य के साथ जून, 2016 में गेहूं-चावल नीति तैयार की है कि जो राज्य गेहूं और चावल के लिए अपनी वर्तमान वार्षिक पात्रता/मांग से अधिक गेहूं अथवा चावल की वार्षिक रूप से खरीद करते हैं, उन्हें उनके सामान्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आवंटन अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी में उनकी आवश्यकता के अनुसार तरजीह वाले खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा। टाइड ओवर श्रेणी के लिए विभाग के विवेकानुसार तथा केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खाद्य राजसहायता पर प्रभाव की शर्त के अध्यधीन आवंटन किया जाएगा।

- केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक को बढ़ाने/सीमित रखने के लिए खाद्यान्नों के स्टॉकिंग मानदण्ड जिनमें 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का कार्यनीतिक रिजर्व शामिल है, को संशोधित करके नवम्बर, 2016 से जून, 2017 तक के लिए 20 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल कर दिया गया है।

XVII. बजटीय स्थिति

- जहां तक **115687.15 करोड़ रुपए** की मासिक व्यय योजना (एमईपी) का संबंध है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने **127050.24 करोड़ रुपए** का व्यय किया है और 30 नवम्बर, 2016 तक एमईपी के प्रति प्रतिशत व्यय के रूप में 109.82% का व्यय किया है।

- निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण बजट जारी किए जाने के कारण ब्याज पर लगभग 512 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसे अन्यथा भारतीय खाद्य निगम को वहन करना पड़ता।
- भारतीय खाद्य निगम की बकाया राशि और ब्याज लागत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे कम ब्याज दर पर 45,000 करोड़ का एनएसएसएफ ऋण प्रदान करने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

****